तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09-11-2020	**एकलपीठ** **डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य** **<u>उपस्थितः</u>** श्री रामसुख चौधरी उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं का हस्ताक्षर किया हुआ है, अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। **–: निर्णय :–** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, कोटपुतली जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 162/1999 में पारित निर्णय दिनांक 24–01–2002 के प्रस्तुत की गई है। 2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। कि ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपुतली स्थित आराजी खसरा नंबर 51 की भूमि सुखसिंह पुत्र शम्भूसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। उक्त भूमि में से 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि का नामांतरकरण संख्या 337 दिनांक 03–9–71 को सरपंच, ग्राम पंचायत, प्रागपुरा के द्वारा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर यह नामांतरकरण तस्दीक किया गया। तत्कालीन तहसीलदार, प्रागपुरा द्वारा कब्जे के आधार पर नामांतरकरण स्वीकार कर लिया। तहसीलदार ने अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि विवादित आराजी पर 2018–19 से अप्रार्थी के कब्जे को आधार बनाकर गलत रूप से नामांतरकरण स्वीकार किया गया है, जो कानूनी रूप से गलत है। नामांतरकरण संख्या 337 में वर्णित खसरा नंबर 51 के नये खसरा नंबर 219 व 220 बन चुके है, दोषी राजस्व कार्मिकों को इस मामले में दण्डिया किया गया है। अतः नामांतरकरण संख्या 337 खारिज फरमाया जावे। अतिरिक्त कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 24–01–2002 द्वारा तहसीलदार कोटपुतली द्वारा ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपुतली के नामांतरकरण संख्या 337 के विरूद्ध प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र को निरस्त किया हैं। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की है 3. विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कथन है कि अतिरिक्त कलक्टर ने इस बात पर गौर नहीं किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदारी प्रदान करने का प्रावधान धारा 13, 15 व 19 में है तथा इसके पश्चात् खातेदार द्वारा जरिये हस्तांतरण ही अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं तथा इस अधिनियम के तहत रजामन्दी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत का आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर है क्योंकि खातेदारी अधिकार प्रदान करने की शक्तियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् केवल सहायक कलक्टर को है। उनका यह भी कथन है कि धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ऐसे प्रकरणों की जांच करने का अधिकार राजस्व मण्डल को है तथा कानूनी मुद्दे पर तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य था किन्तु अतिरिक्त कलक्टर ने अनियमित रूप से रेफरेंस प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया है, अतः मण्डल में निहित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर ग्राम पंचायत प्रागपुरा के द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 337 निरस्त फरमाया जाकर निगरानी प्रार्थी स्वीकार की जावे तथा अतिरिक्त कलक्टर, कोटपुतली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–01–2002 अपास्त किया जावे। 4. हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 5. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है तहसीलदार, कोटपुतली जिला जयपुर द्वारा अतिरिक्त करलक्टर, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत रेफरेंस प्रकरण दिनांक 01–4–89 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि नामांतरकरण संख्या 337 खसरा नंबर 51 मिन रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी कब्जा काश्त संवत 2018–19 के तहत सल्ला मूलचन्द पिसरान प्रभाती माली के नाम मंजूर हुआ जो गलत है तथा हाल बने खसरा नंबर 219 व 220 में भी इनका नाम गलत रूप से अंकित किया गया है और संबंधित कर्मचारी को दण्डित किया जा चुका है। 6. अतिरिक्त कलक्टर, कोटपुतली जिला जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24–01–2002 को इस रेफरेंस प्रकरण को राजस्व मण्डल को प्रेषित नही कर अपने स्तर पर रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा संवत 2018–19 में भूमि पर अप्रार्थीगण के कब्जे को आधार मानकर उन्हें खातेदार अधिकार प्रदान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किये है जिसका रिकार्डेड खातेदार ने कोई उज्र नहीं किया है तथा इस ममाले में राजकीय या सार्वजनिक हित निहित नहीं है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। 7. इस प्रकरण में यदि रिकार्डेड खातेदार को भूमि के हस्तांतरण या नामांतरकरण से कोई उज्र नहीं था तो भूमि के बाबत विक्रय पत्र तैयार कर पंजीयन राशि भी राज्य कोष में जमा कराई जा सकती थी। इससे साफ जाहिर है कि राजस्व कर्मचारी की मिलीभगत से ही यह नामांतरकरण संख्या 337 स्वीकार किया गया है जिसके बारे में तहसीलदार, प्रागपुरा ने यह स्पष्ट अंकित किया है, राजस्व कर्मचारी को इस प्रकरण में दण्डित किया गया है। अतिरिक्त कलक्टर ने अपने क्षेत्राधिकार का पालन करने में त्रुटि की है। अतः अतिरिक्त कलक्टर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय खारिज किये जाने योग्य है 8. फलस्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है तथा धारा 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में निहित शक्तियों के तहत् नामांतरकरण संख्या 337 दिनांक 03-9-71 खारिज किया जाता है तथा अतिरिक्त कलक्टर, कोटपुतली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-01-2002 खारिज किया जाता है। 9. इस निर्णय की एक-एक प्रति अतिरिक्त कलक्टर, कोटपुतली जिला जयपुर तथा तहसीलदार, कोटपुतली को भिजवाई जावे। 10. पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	